न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास ओम प्रकाश शर्मा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 11/2018/दावा

आशादेवी पत्नी श्री महावीर आयु 38 वर्ष जाति योगी निवासी अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादीनी

ब ना म

1. जगदीश
2. शिशपाल — पुत्रगण छोटूराम
3. गोपाल
4. गिरधारी
5. गणपत
6. गौरीशंकर — पुत्रगण लिच्छा
7. मोहन
8. सजना पुत्री लिच्छा
9. नवरतन
10. कैलाश
11. हरिप्रसाद — पुत्रगण सुण्डानाथ
12. सोहन
13. शंकर
14. शम्भू

समस्त जाति योगी निवासीगण अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

15. पटवारी, पटवार हल्का, अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (हजफ)
16. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति—

1. श्री सुरेन्द्रपाल धायल वकील वादीनी की ओर से

निर्णय दिनांक— 26.03.2018

1. दावा के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि विवादित कृषि आराजियात खसरा नंबर 561/1764 रकबा 0.07 है., खसरा नंबर 562 रकबा 0.02 है0 एवं खसरा नंबर 563

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ

रकबा 0.35 है0 किता 3 कुल रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम अलोदा प.मं. अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। वाद पत्र की पैरा सं. 1 में वर्णित भूमिया खाटूश्यामजी से पलसाना जाने वाली मुख्य सड़क से पूरब दिशा में अवस्थित है। उक्त भूमियों में वादीया का हिस्सा 1/2, प्रतिवादी सं. 1 ता 4 व 9 लगायत 14 का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी सं. 5 ता 8 का हिस्सा 1/4 है। वाद के पैरा सं0 1 में दर्ज भूमियों का वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य बाहमी बंटवारा कर रखा है। बाहमी बंटवारे के अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण काबिज काश्त होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। वादीया अपने बाहमी बंटवारा में आयी भूमि के चारों ओर पुख्ता दीवार बनाकर अपने हिस्से की कृषि भूमियों पर काश्त कर अपने परिवार का भरण पोषण करती चली आ रही है। अब वादीया उक्त कृषि संपदा का विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाकर अपनी काश्त भूमि को और उन्नत बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से समय समय पर आने वाली कृषि योजनाओं का लाभ लेकर अच्छी काश्त करना चाहती है इसलिए वादिया ने प्रतिवादी सं. 1 ता 14 से वादग्रस्त संपदा वर्णित मद सं. 1 का बाहमी बंटवारा के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाने के लिए प्रतिवादीगण सं. 1 ता 14 को कहा तो प्रतिवादीगण सं. 1 ता 14 पहले तो आश्वासन देते रहे, परन्तु अभी विगत दिनों वादग्रस्त संपदा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाने से साफ इंकार हो गये व प्रतिवादी सं. 1 ता 14 ने वादीया से धमकी भरे अंदाज में कहा कि हम अच्छे भूभाग पर कब्जा करेंगे, इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि वर्णित मद सं. 1 का वादीया व प्रतिवादी सं. 1 ता 14 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाकर वादीया को उसके हिस्से का रिकार्डेड काबिज काश्तकार उद्घोषित किया जावें व उसी अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाकर अलग खसरा नंबर व नींव सींव कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रतिवादीगण वादिया के हिस्से में आई भूमि से बेदखल करने पर आमदा है जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपने कुउद्देश्य में सफल हो गये तो वादीया को इस कदर असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में किसी भी प्रकार किया जाना संभव नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि वर्णित मद सं. 1 से वादिया को बलात् बेद,खल करने, उपयोग उपभोग में

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

3-11211

बाधा डालने, बेचान करने या किसी भी प्रकार से दीगर व्यक्तियों को हस्तांतरण करने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना प्रार्थनीय है। वादिया को वाद कारण दिनांक 30.12.2017 को वादिया जब अपनी काश्त भूमि पर कृषि कार्य कर रही थी तो प्रतिवादीगण दीगर व्यक्तियों के साथ आये व वादिया को बलात् बेदखल करने की धमकी दिये जाने से वाद कारण उत्पन्न हुआ, तब से वाद कारण निरंतर रूप से जारी है। खातेदार लिच्छा पुत्र कानानाथ व सुण्डाराम पुत्र छोटू नाथ की मृत्यु हो चुकी है जिनका विरासत का ना.करण राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है इनके वारिसान को प्रतिवादी सं. 5 ता 14 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। वाद में प्रतिवादी सं. 15 व 16 जो रिकार्ड संधारणकर्ता व भूमि धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है जिसको पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु मामला अति आवश्यक प्रकृति का होने से समयाभाव से नोटिस दिया जाना संभव नहीं है जिसके लिए अलग से आवेदन पेश कर अनुमति चाही गयी है। वादग्रस्त संपदा वाके ग्राम अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित होने से वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा, बंटवारा, उद्घोषणा का होने से उचित न्याय शुल्क पर सावधि पेश है। अंत में वादिया द्वारा यह इश्तदुआ चाही है कि वाद वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित आराजियात का वादिया व प्रतिवादी सं. 1 ता 14 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा वर्तमान मौके अनुसार वादिया का नाम रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर वादिया को अलग से काबिज काश्तकार खातेदार उद्घोषित किया जाकर अलग नींव सींव कायम की जाकर अलग अलग खसरा नंबर कायम कर अलग लगान निर्धारित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें। प्रतिवादीगण को वाद की मद सं. 1 में वर्णित भूमियों से वादीया को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने, दीगर व्यक्तियों को बेचान करने, वादीया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने, अन्य किसी भी प्रकार से वादी को हैरान परेशान करने, अतिक्रमण कर कोई नव निर्माण करने, कब्जा करने से प्रतिवादी गण स्वयं मय नौकर, एजेंट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें तथा मौका व

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावें। वाद के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2071–74 ग्राम अलोदा तहसील दांतारामगढ व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई है।

2. वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 14 व 16 बावजूद तामील असालतन/चश्पांदगी अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 15 के विरूद्ध कोई इश्तदुआ नहीं चाहने व नाम हजफ करवाने का निवेदन किये जाने पर नाम हजफ किया गया।

3. बहस वादीया के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादीया ने वाद की मद सं. 1 में वर्णित भूमियों का मौके व रिकार्ड अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने का निवेदन किया गया।

4. हमने वादीया के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम अलोदा प.मं. अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता सं. 370 के खसरा नंबर 561/1764, 562 व 563 किता 3 कुल रकबा 0.44 है0 के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात वादीया एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 14 की संयुक्त खातेदारी की भूमियां साबित है एवं वादीया का हिस्सा जरिये विक्रय पत्र मुताबिक जमाबंदी विवादित आराजी में 1/2 हि0 साबित है। चूंकि वादीया अपनें हिस्से का कब्जे काश्त एवं मौके के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाना चाहती है। अतः वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है ग्राम अलोदा प.मं. अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के खाता सं. 370 के खसरा नंबर 561/1764, 562 व 563 किता 3 कुल रकबा 0.44 है0 की मौके एवं रिकार्ड के अनुसार वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1ता 14 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने हेतु तहसीलदार, दातारामगढ जिला सीकर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्राथमिक डिक्री निम्न शर्तो के अनुसार जारी की जाती है:–

   1. यदि पक्षकारान ने बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें।
   2. पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
   3. यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नहीं हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुए बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव भिजवावें ।
   4. विवादि आराजियात में पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता नहीं हो तो राजस्व अभिलेख में रास्ता प्रस्तावित किया जावें तथा पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में नियत तिथि दिनांक 26.04.2018 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर एक प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवावें।

   उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। वादी मौका कमिश्नर फीस 200/– अदा करेंगे। इस पत्रावली में तहरीर जारी होकर बइंतजार बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा के दिनांक 26.04.2018 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

5. यह आदेश आज दिनांक 26.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी,दाँतारामगढ